

फाइल सं. 13-6/2020-21/सा.प्र.
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान
(मानित विश्वविद्यालय)
17बी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली- 110016

22 अगस्त 2022

अधिसूचना


सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, अप्रचलित/आर्थिक मरम्मत से परे और पिछले कुछ वर्षों से उपयोग नहीं किए जा रहे आईटी उपकरणों के निराकरण और विक्रय पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इन मदों को ई-अपशिष्ट या ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से निपटाने की आवश्यकता होगी।

गठित समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. श्री निशांत सिन्हा, वित्त अधिकारी | : | अध्यक्ष |
| 2. डॉ. डी.एस. ठाकुर, प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी) और प्रलेखन अधिकारी | : | सदस्य |
| 3. श्री अमित सिंघल, उप प्रकाशन अधिकारी | : | सदस्य |
| 5. श्री चंद्र कुमार एमजे, सिस्टम एनालिस्ट | : | सदस्य |

अनुभाग अधिकारी (सा.प्र.) और सहायक (सा.प्र.) समिति के साथ प्रक्रिया का समन्वय करेंगे।

समिति भारत सरकार की प्रासंगिक प्रक्रिया/जीएफआर-2017, जैसा लागू हो, का पालन कर सकती है। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग द्वारा सं. 8-11/2012-13/आईटी-1 दिनांक 26-12-2014 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की एक प्रति भी संदर्भ के लिए संलग्न है।


22.8.2022
(डॉ. डी.एस. ठाकुर)

प्रशासनिक अधिकारी (प्रभारी)

प्रति:

समिति के अध्यक्ष / सदस्य

प्रतिलिपि:

1. कुलपति के निजी सचिव- सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निजी सहायक- कुलसचिव की जानकारी के लिए।
3. प्रशासनिक कार्यालय के निजी सहायक (प्रभारी) - अभिलेखों के लिए
4. सिस्टम एनालिस्ट -- परिपत्र को वेबसाइट 'स्टाफ-कॉर्नर' पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ